

भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 01 जनवरी, 2004

अधिसूचना

का० नि० आ० ~~राष्ट्रपति~~ संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय रक्षा मंत्रालय, लेखा काडर भर्ती नियम 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, लेखा काडर भर्ती (संशोधन) नियम 2004 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, लेखा काडर भर्ती नियम 1999 की अनुसूची में, -

(i) संयुक्त निदेशक (लेखा), मुख्य लेखा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा अधिकारी श्रेणी 1, लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के सामने स्तम्भ 5 के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“चयन”

(ii) संयुक्त निदेशक (लेखा), मुख्य लेखा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा अधिकारी श्रेणी 1, ज्येष्ठ लेखा अधिकारी श्रेणी 11, लेखा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी के पदों के सामने स्तम्भ 13 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

(क) संयुक्त निदेशक (लेखा) के सामने -

1.	अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-	अध्यक्ष
2.	मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास/मुख्य कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	-	सदस्य
3.	निदेशक कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	-	सदस्य

(ख) मुख्य लेखा अधिकारी के सामने -

- “
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष
 2. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास/मुख्य कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - सदस्य
 3. निदेशक कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - सदस्य ”

(ग) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी श्रेणी I के सामने -

- “
1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास/मुख्य कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष
 2. निदेशक कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - सदस्य
 3. रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय से एक अधिकारी, जो निदेशक या उप सचिव के स्तर से नीचे का न हो - सदस्य ”

(घ) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी श्रेणी II के सामने -

- “
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष
 2. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास/मुख्य कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - सदस्य
 3. निदेशक कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास - सदस्य ”

(ङ) लेखा अधिकारी के सामने -

- “
1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास/मुख्य कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष
 2. निदेशक कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - सदस्य
 3. रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग/समेकित वित्त (अनुसंधान और विकास) से एक अधिकारी, जो अवर सचिव के नीचे के स्तर का न हो - सदस्य ”

(च) सहायक लेखा अधिकारी के सामने -

- “
1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास/मुख्य कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - अध्यक्ष
 2. निदेशक कार्मिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन - सदस्य
 3. रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग/समेकित वित्त (अनुसंधान और विकास) से एक अधिकारी, जो अवर सचिव के नीचे के स्तर का न हो - सदस्य ”

(रोजी शर्मा)

उप सचिव, भारत सरकार

(फा0 सं0 डी एच आर डी/97011/लेखा/सी/पी/07)

पाद टिप्पण :- मूल नियम का0 नि0 आ0 132 तारीख 15 जुलाई 1999 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 4, में तारीख 31 जुलाई 1999 को प्रकाशित किए गए तत्पश्चात का0 नि0 आ0 83 तारीख 27 मार्च 2002 और का0 नि0 आ0 171 तारीख 22 जुलाई 2002 द्वारा संशोधित किए गए ।

प्रकाशनार्थ

रोजी शर्मा

(रोजी शर्मा)

उप सचिव, भारत सरकार

रक्षा (समन्वय)

फा0 सं0 मा0 सं0 वि0 नि0/97011/लेखा/सी/पी/07/4482/रक्षा(अनु एवं वि) दिनांक 01 जनवरी, 2004